

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: आदेश ::—

संख्या-17/स्था0-03-30/2025, 9990/सा.प्र., पटना-15, दिनांक:- 5.6.26

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-10870 दिनांक-16.06.2025 के द्वारा मो0 फारुकुज्जमाँ, संविदा नियोजित प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना की संविदा अवधि विस्तार दिनांक-01.08.2025 से 09.07.2026 तक किया गया था।

2. मो0 फारुकुज्जमाँ, संविदा नियोजित प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना को आदेश निर्गत की तिथि से संविदा मुक्त किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

dal'
05.06.2026

(राज कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था0-03-30/2025, 9990/सा.प्र., पटना-15, दिनांक:- 5.6.26

प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मो0 फारुकुज्जमाँ, संविदा नियोजित प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-22, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

dal'
05.06.2026
सरकार के अवर सचिव।